कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 2505 / 1जी– FP/UK/Others/~~30432~~ 34032/2018 देहरादूनः दिनांकः 13 मार्च, 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग, कोसी रेंज में एन0एच0 121 रामनगर–मोहान मोटर मार्ग (माईलस्टोन 27 कि0मी0 लखनपुर चुंगी–माईलस्टोन 49 कि0मी0 मोहान) रामनगर से अपर कोसी बीट गर्जियास सीमा तक और गार्जिया सीमा से धुलवा बीट मोहान सीमा तक कुल जिसकी लम्बाई 22 कि0मी0 एवं 0.22 हे0 में मोटर मार्ग के दाहिनी तरफ सडक किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु भूमि का वन संरक्षण अधिनियम,1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 द्वितीय तल एन0सी0आर0 प्लाजा, हाथी बडकला, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

(Online file No-- FP/UK/Others/~~30432~~ 34032/2018)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि **जनपद– नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग, कोसी रेंज में एन0एच0 121 रामनगर–मोहान मोटर मार्ग (माईलस्टोन 27 कि0मी0 लखनपुर चुंगी–माईलस्टोन 49 कि0मी0 मोहान) रामनगर से अपर कोसी बीट गर्जियास सीमा तक और गार्जिया सीमा से धुलवा बीट मोहान सीमा तक कुल जिसकी लम्बाई 22 कि0मी0 एवं 0.22 हे0 में मोटर मार्ग के दाहिनी तरफ सडक किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने** के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव आनलाईन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर एवं वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी सहमती व्यक्त की गई है। रिलायन्स जीयो, द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार जनपद–नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 3G/4G जैसी नई तकनीकी सुविधाओं के लिए तथा दूर संचार की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना का कार्य किया जाना है। इससे भविष्य में स्थाई तथा अस्थाई रूप से लोगो को रोजगार मिलने की सम्भावना है। प्रश्नगत परियोजना का कार्य व्यापक जनहित में किया जा रहा है। अतः वन भूमि के कथित परियोजना हेतु अनुमति दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण के अन्तर्गत नही आता है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में वृक्षों का पातन निहित नही है।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–11–568 / 2014 एफ.सी. दिनांक–02.02.2015 के द्वारा भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायलय के आदेश दिनांक 24.05.2008 एवं आदेश दिनांक 09.05.2008 तथा तत्तक्रम में भारत सरकार के पत्रांक 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा कतिपय प्रयोजनों हेतु एन0पी0वी0 की देयता से छूट प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत विषयांकित परियोजना भी सम्मिलित है। अतः उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत **जनपद– नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग, कोसी रेंज में एन0एच0 121 रामनगर–मोहान मोटर मार्ग (माईलस्टोन 27 कि0मी0 लखनपुर चुंगी–माईलस्टोन 49 कि0मी0 मोहान) रामनगर से अपर कोसी बीट गर्जियास सीमा तक और गार्जिया सीमा से धुलवा बीट मोहान सीमा तक कुल जिसकी लम्बाई 22 कि0मी0 एवं 0.22 हे0 में मोटर मार्ग के दाहिनी तरफ सडक किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने** के प्रस्ताव पर संस्तुति की जाती है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या 2505/1जी– FP/UK/Others/~~30432~~ 34032/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जनपद–नैनीताल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
3. RELIANCE JIO , Plot no 32, IT Park, sahastradhara road dehradun.

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी